

मध्यप्रदेश विधान सभा



फरवरी-मार्च, 2017 सत्र दैनिक कार्य सूची बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2017 (चैत्र 1, 1939) समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 41 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री सुरेन्द्र पटवा, राज्यमंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित, भोपाल का 37 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य, मंदसौर जिले के सीतामऊ जनपद पंचायत में अनियमितता के संबंध में कार्यवाही न किये जाने की ओर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्रीमती इमरतीदेवी, सदस्य, ग्वालियर जिले के डबरा नगर पालिका अध्यक्ष को अयोग्य घोषित होने पर पद से न हटाये जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

श्री शंकरलाल तिवारी, सभापति, याचिका समिति का छियालीसवां एवं सैंतालीसवां तथा अभ्यावेदन से संबंधित अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति.

- (1) श्री कुंवर सिंह टेकाम, सदस्य, सिंगरौली जिले के ग्राम निगरी बस्ती मौरहाटोला में आदिवासी सामुदायिक भवन स्वीकृत किये जाने,
- (2) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य, हरदा जिले के ग्राम अबगाँवकलों से भुन्नास रिजगाँव तक रोड का निर्माण किये जाने,
- (3) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम हीरापुर से डोगरा खोह तक सड़क बनाये जाने,
- (4) श्री मधु भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम शेखी से सुरिया मार्ग पर पुल का निर्माण किये जाने,
- (5) श्री महेंद्र सिंह सिसौदिया, सदस्य, गुना जिले के ग्राम ढिमरपुरा के उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कराने एवं स्टाफ की व्यवस्था किये जाने,
- (6) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, रायसेन जिले में ग्राम जाबरा से केरी महादेव तक पक्का डामरीकृत रोड का निर्माण किये जाने,
- (7) श्री संजय उइके, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम टांगाटोला पहुँच मार्ग पर पुल का निर्माण किये जाने,
- (8) श्री मुकेश नायक, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम पडरियाकलां की नदी पर घाट का निर्माण किये जाने,
- (9) श्रीमती शीला त्यागी, सदस्य, रीवा जिले के मनगवां में मिनी स्टेडियम बनाये जाने,
- (10) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम बासोंद से विच्छु बाबड़ी तक मार्ग डामरीकृत कराये जाने,
- (11) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम कुडीला के मलगुवां रोड पर स्थित अनुसूचित जाति बस्ती में पुलिया का निर्माण कराये जाने,
- (12) श्रीमती ममता मीना, सदस्य, गुना जिले के मद्दागन रोड से मोगरामार्ग पर बीली के पास पुलिया का निर्माण किये जाने,
- (13) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले की एम.एस. रोड एवं मुंगावली-गलेथा में पुलिया का निर्माण किये जाने,
- (14) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम रसुईया से कुसली तक मार्ग का निर्माण किये जाने,
- (15) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर जिले के संत रविदास वार्ड में सी.सी. रोड एवं नाली का निर्माण किये जाने,
- (16) श्री मथुरालाल, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम बांगरोद के मध्य नाले पर पुलिया का निर्माण किये जाने,
- (17) कुं. हजारीलाल दांगी, सदस्य, राजगढ़ जिले के खिलचीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की बाउन्ड्रीवाल स्वीकृत किये जाने,
- (18) श्री सुशील कुमार तिवारी, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम डूंगा महगवां से मलारा तिलहरी तक रोड का निर्माण किये जाने,
- (19) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले की जीरन तहसील में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने,
- (20) श्री महेश राय, सदस्य, सागर जिले के ग्राम आगासौद के किसानों को जली हुई फसल का उचित मुआवजा दिलाये जाने,
- (21) श्री पन्नालाल शाक्य, सदस्य, गुना जिले के ग्राम खजूरी से बमूरिया तक सड़क का निर्माण किये जाने,
- (22) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम नौगांव स्थित राजा यादवेन्द्र सिंह स्टेडियम एवं सहित अन्य स्टेडियमों के निर्माण हेतु राशि स्वीकृत किये जाने,

- (23) श्री कुंवर जी कोठार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम दुग्या से पाड़ल्या माता तक सड़क का निर्माण किये जाने,
(24) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम दिदौनिया की बन्ने नदी के महादेव घाट का निर्माण किये जाने,
(25) श्री अनिल जैन, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ओरछा में नवीन शासकीय महाविद्यालय खोले जाने,
(26) श्री अरूण भीमावद, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम बीजाना के चयनित स्थानों पर स्टापडेम का निर्माण किये जाने,
(27) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम सिलपटीबरवाल के शासकीय प्राथमिक विद्यालय का माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किये जाने,
(28) श्री गोवर्धन उपाध्याय, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम जमालपुर में विद्युत व्यवस्था किये जाने,
(29) श्रीमती संगीता चरेल, सदस्य, रतलाम जिले के क्षेत्र सैलाना में करण नदी एवं बायडी का खाल पर पुलिया का निर्माण किये जाने,
(30) श्री आर.डी.प्रजापति, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम बहादुर, मालपुर, गहबरा एवं महुई के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(31) श्री विजय सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम रोमचिचली एवं बैजापुर में पेयजल हेतु मोटर पंप लगाये जाने,
(32) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम मगरौल में गंदे पानी की निकासी हेतु नाले का निर्माण कराये जाने,
(33) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम महु में स्टापडेम/तालाब स्वीकृत किये जाने,
(34) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा, सदस्य, देवास जिले के ग्राम सुरजना से इकलेरा के बीच काली सिंध नदी पर पुलिया का निर्माण किये जाने,
के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित
समय

6. वर्ष 2016-2017 की तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

“ दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 4, 11, 12, 13, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 30, 32, 39, 45, 53, 55, 70, 73 तथा 75 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर छह हजार आठ सौ नब्बे करोड़, चौहत्तर लाख, सात हजार, आठ सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये.”.

2 घण्टे

7. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 (क्रमांक 4 सन् 2017) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

8. वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः).

1 घण्टा

(1) मांग संख्या – 48 नर्मदा घाटी विकास.

1 घण्टा

(2) मांग संख्या – 43 खेल और युवक कल्याण
मांग संख्या – 51 धार्मिक न्यास और धर्मस्व.

2 घण्टे

(3) मांग संख्या – 22 नगरीय विकास एवं पर्यावरण
मांग संख्या – 41 सिंहस्थ, 2016 से संबंधित व्यय
मांग संख्या – 64 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.

1 घण्टा
30 मि.

(4) मांग संख्या – 55 महिला एवं बाल विकास.

2 घण्टे
30 मि.

(5) मांग संख्या – 13 किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मांग संख्या – 54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा.

1 घण्टा
30 मि.

(6) मांग संख्या – 21 लोक सेवा प्रबंधन
मांग संख्या – 44 उच्च शिक्षा.

2 घण्टे
30 मि.

(7) मांग संख्या – 3 पुलिस
मांग संख्या – 4 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय
मांग संख्या – 36 परिवहन.

भोपाल :
दिनांक : 21 मार्च, 2017

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.